



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)98/P/Vol.II

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नई/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 02-07-2014

आर बी ई सं/RBE No. 61 / 2014

पी बी सी सं/ PBC No: 93 / 2014

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list -'A')

विषय/Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.158(E) &
GSR No. 159(E) dated 04-03-2014.

A copy of Railway Board's letter No.E(MPP)2013/6/7 dt.05-06-2014
(RBE No. 61/2014) alongwith a copy of Notification No.G.S.R. 158(E) &
G.S.R.159(E) dated 04-03-2014 published in Part II, Section 3, Sub-Section (i)
of the Gazette of India on the above subject is enclosed for information,
guidance and necessary action.

(V.SRINIVASAN)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR



महाप्रबंधक का कार्यालय
GENERAL MANAGERS OFFICE
27 JUN 2014
दक्षिण रेलवे/Southern Railway
चेन्नै/Chennai-600 003

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. 61/2014

No.E(MPP)2013/6/7

New Delhi,

dated:0506-2014

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.158 (E) & GSR No.159(E)
dated 04.3.2014.

A copy of the notification No. G.S.R.158(E) & GSR No.159(E) dated 04.3.2014 published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India regarding providing rebate in the period of Apprenticeship Training to IIT graduates of the State Council for Vocational Training, Lakshadweep under Apprentices Act, 1961 is enclosed for information, guidance and necessary action.

Please acknowledge receipt.

DA:As above


03/6/14
(Anuradha Singh)
Director (MPP)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 61 /2014


सं. ई(एमपीपी)2013/6/7

नई दिल्ली, दिनांक: 05-08-2014

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय:- दिनांक 04.03.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 158 (ई) एवं
जी.एस.आर सं.159(ई) को अद्योषित करना।

अप्रेंटिसिज एक्ट, 1961 के अंतर्गत राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, लक्षद्वीप के आईटीआई स्नातकों के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि में छूट प्रदान करने के बारे में भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 04.03.2014 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 158 (ई) एवं जी.एस.आर सं.159 (ई) की प्रति सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।


(अनुराधा सिंह)
निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2014/फाल्गुन 15, 1935

No. 111]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2014/PHALGUNA 15, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 158(ग).—केंद्रीय सरकार, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षा नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षा (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षा नियम, 1992 की अनुसूची 1ख में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

बोर्ड/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद्/अन्य प्राधिकरण	व्यवसाय परीक्षण/परीक्षा	व्यवसाय/विषय क्षेत्र	व्यवसाय शिक्षा के प्रवर्ग में व्यवसाय	शिक्षण प्रशिक्षण की अवधि
1	2	3	4	5
राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्, तत्कालीन	शिल्पकार के लिए व्यवसाय परीक्षण	राज भवन निर्माण ठेकेदार	राज भवन निर्माण ठेकेदार	1½ वर्ष
		प्लम्बर	प्लम्बर	2½ वर्ष
		कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	1½ वर्ष

	इलेक्ट्रानिक मैकेनिक	इलेक्ट्रानिक मैकेनिक	2 वर्ष
	इलेक्ट्रीशियन	इलेक्ट्रीशियन	2 वर्ष
	फिटर	फिटर	2 वर्ष
	वैल्डर (गैस और विद्युत)	वैल्डर (गैस और विद्युत)	1½ वर्ष
	टर्नर	टर्नर	2 वर्ष
	आंतरिक सज्जाकार और रूपांकन	आंतरिक सज्जाकार और रूपांकन	1½ वर्ष
	मैकेनिक रेफ्रिजेशन और वातानुकूलन	रेफ्रिजेशन और वातानुकूलन मैकेनिक	2 वर्ष
	मैकेनिक (दुपहिया की मरम्मत और अनुरक्षण)	मैकेनिक (दुपहिया की मरम्मत और अनुरक्षण)	09 मास
	भवन अनुरक्षण	भवन अनुरक्षण तकनीशियन	09 मास
	शिल्पकार खाद्य उत्पादन (साधारण)	खाद्य उत्पादन शिष्ट (साधारण)	2½ वर्ष

[फा. सं. डीजीईटी-23(1)/2007-एपी]

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

पाठ टिप्पणः—मूल नियम, संख्यांक सा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 75(अ), तारीख 8 फरवरी, 2012 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 158(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule 1-B to the Apprenticeship Rules, 1992, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:—

TABLE

Board/State Council for Technical Education/Other Authority	Trade Test/ Examination	Trade/Subject fields	Trade(s) in the category of Trade Apprentices	Period of Apprenticeship Training
1	2	3	4	5
"State Council for Vocational Training, Lakshadweep	Trade Test for Craftsmen	Mason Building Constructor	Mason Building Constructor	1½ years
		Plumber	Plumber	2½ years
		Computer Operator and Programming Assistant	Computer Operator and Programming Assistant	1½ years
		Electronics Mechanic	Electronics Mechanic	2 years
		Electrician	Electrician	2 years
		Fitter	Fitter	2 years
		Welder (Gas and Electric)	Welder (Gas and Electric)	1½ years
		Turner	Turner	2 years
		Interior Decorator and Designing	Interior Decorator and Designer	1½ years
		Mechanic Refrigeration and Air Conditioner	Refrigeration and Air Conditioning Mechanic	2 years
Mechanic (Repairs and Maintenance of Two Wheelers)	Mechanic (Repair and Maintenance of Two Wheelers)	09 months		
Building Maintenance	Building Maintenance Technician	09 months		
Craftsman Food Production (General)	Apprentice Food Production (General)	2½ years ¹		

[F. No. DGET-23(1)/2007-AP]

ALOK KUMAR, Director General/Jt. Secy.

Footnote:—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* number G.S.R. 75(E), dated the 8th February, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 159(अ).—केंद्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 6 के खंड (कक) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यवसाय परीक्षण या परीक्षा की बाबत उक्त सारणी के स्तंभ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यवसायों या विषयों सहित, उसके स्तंभ 1 में उल्लिखित राज्य तकनीकी शिक्षा परिषदों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

सारणी

बोर्ड/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद/अन्य प्राधिकरण	व्यवसाय परीक्षण/परीक्षा	व्यवसाय/विषय क्षेत्र
1	2	3
"राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, लक्षद्वीप"	शिल्पकार के लिए व्यवसाय परीक्षण	राज भवन निर्माण ठेकेदार
		प्लम्बर
		कम्प्यूटर आपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक
		इलेक्ट्रानिक मैकेनिक
		इलेक्ट्रीशियन
		फिटर
		वैल्डर (गैस और विद्युत)
		टर्नर
		आंतरिक सज्जाकार और रूपांकन
		मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन
		मैकेनिक (दुपहिया की मरम्मत और अनुरक्षण)
		भवन अनुरक्षण
		शिल्पकार खाद्य उत्पादन (साधारण)"

(फा. सं. डीजीईटी -23(1)/2007-एपी.)

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) read with clause (aa) of section 6 of the said Act, and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby specifies for the purposes of the said Act, the State Councils for Technical Education mentioned in column 1 of the Table given below in respect of the Trade Test or Examination mentioned in column 2, with the Trades or Subjects mentioned in the corresponding entry in column 3 thereof.—

TABLE

Board/State Technical Other Authority	Council for Education/	Trade Test/ Examination	Trade/Subject fields
1	2	3	
State Council for Vocational Training, Lakshadweep		Trade Test for Craftsmen	Mason Building Constructor Plumber Computer Operator and Programming Assistant Electronics Mechanic Electrician Fitter Welder (Gas and Electric) Turner Interior Decorator and Designing Mechanic Refrigeration and Air Conditioner Mechanic (Repairs and Maintenance of Two Wheeler) Building Maintenance Craftsman Food Production (General)

[F. No. DGET-23(1)/2007-AP]

ALOK KUMAR, Director General/H. Secy.